

Classes issued from Gwalior to important stations is as under:—

| To Stations          | No. of tickets |
|----------------------|----------------|
| Bombay V. T. . . . . | 28             |
| Dadar . . . . .      | 11             |
| Kalyan . . . . .     | 9              |
| Nasik Road . . . . . | 2              |
| Munmad . . . . .     | 4              |
| Jalgaon . . . . .    | 2              |
| Bhusaval . . . . .   | 3              |
| Kandwa . . . . .     | 3              |

कालका-हावड़ा डाक गाड़ी में 480 कि. मी. से कम यात्रा करने वाले यात्री

1243. श्री चन्द्रपाल शेल्लानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप/2 डाउन कालका-हावड़ा डाक गाड़ी में ऐसे यात्रियों को इसमें यात्रा करने की अनुमति नहीं है जो दिल्ली और हावड़ा के बीच 480 कि. मी. से कम दूरी तक सफर करना चाहते हैं जबकि यह प्रतिबंध दिल्ली और कालका के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिबंध को समाप्त करने का है और यदि हां, तो कब तक?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) लम्बी दूरी के यात्रियों को बसुविधा से बचाने के लिए रेल प्रशासनों द्वारा गाड़ियों के उपयोग का ध्यान में रखते हुए कुछ मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 1 अप/2 डाउन कालका-हावड़ा मेल पूर्णतया आरक्षित गाड़ी है और लम्बी दूरी के यात्रियों की ओर से इसकी भारी मांग है। अतः कम दूरी के यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया

गया है। दिल्ली और हावड़ा के बीच इस गाड़ी से यात्रा करने की दूरी सम्बन्धी पाबंदी दूसरे दर्जे के लिए 480 कि. मी. और पहले दर्जे के लिए 160 कि. मी. है। मध्यवर्ती स्टेशनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिये गये आरक्षित कोटों को छोड़कर इस दूरी से कम यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

(ख) इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) दिल्ली और कालका के बीच वास्तविक दूरी केवल 268 कि. मी. है, अतः वहां दूरी प्रतिबंध लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) दिल्ली और कालका के बीच गाड़ी पूर्णतया आरक्षित नहीं है।

(3) दिल्ली-कालका खण्ड पर एक यात्री गाड़ी के अतिरिक्त यही एकमात्र मेल/एक्सप्रेस गाड़ी है।

(ग) जी नहीं।

पाकिस्तान में साधुबेला जाने के लिये सुविधाएँ

1244. श्री भगवान देव: क्या विदेश मंत्री सिंधियों के लिए पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए प्रबन्ध के बारे में 27 मार्च, 1980 के अतारक्षित प्रश्न संख्या 1888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच पाकिस्तान सरकार उन धार्मिक स्थानों (शइन्स) की सहमत सूची में सम्मिलित करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तीर्थयात्रियों को साधुबेला तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने के लिये सुविधाएँ कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में शीघ्र ही अपनी स्वीकृति भेजने के लिये पाकिस्तान सरकार को फिर लिखा गया है?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) अभी तक नहीं।

(घ) चूंकि इस मामले पर निर्णय पाकिस्तान सरकार को लेना है इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रबन्ध कब तक हो जाएगा। फिर भी भारत सरकार की कोशिश यह है कि इस सम्बन्ध में जल्दी फैसला हो जाए।

(ग) फरवरी, 1980 में विदेश सचिव जब इस्लामाबाद गए थे उस समय दोनों देशों के बीच इस मसले पर भी बातचीत हुई थी। पाकिस्तान सरकार ने मई 1980 में नई दिल्ली स्थित अपने राजदूतावास के माध्यम से हमें सूचित किया कि इस मामले पर पाकिस्तान सरकार अभी विचार कर रही है।

### Cost of Living Index

1245. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under Cabinet orders 1971 series of consumer price index has been kept sealed; and

(b) whether it is also a fact that in that series under the direction of Finance Ministry (Economic Affairs) some action was initiated to lower the cost of living index?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) and (b). No Sir. With a view to revising the current series of Consumer Price Index Numbers (1960—100), Labour Bureau had undertaken fresh Family Budget Surveys in 1971. However, there was a persistent demand that before the 1971 series were released, the index number should be reviewed and deficiencies therein, if any, should be rectified. Government, therefore, constituted a Committee in May '77 (Rath Committee) to go into the various aspects of the index numbers. The Report of the Committee is presently under consideration of Government.

### Ship Repairing Yard at Haldia

1246. SHRI SOMNATH CHATTERJEE:

SHRI NIREN GHOSH:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the steps taken by Government about the Ship Repairing Yard at Haldia, the details thereof;

(b) whether it is a fact that the concerned files are missing in the Ministry; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH):

(a) M/s. Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd., Calcutta, had submitted a project report for ship-repair complex at Haldia. The report was examined by Government and the Company was advised to re-examine the viability of the project and other relevant aspects without taking into account the proposal for production of off-shore platforms and some additional constructions recommended by the Calcutta Port Trust and submit a supplementary report for consideration. M/s. CRSE have since sent a supplementary report.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए योजनाएं

1247. श्री भीष्मा भाई : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है;

(ख) पिछले तीन दशकों अर्थात् 1950, 1960 तथा 1970 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी; और